

गोपीराज कानगराज

केस संख्या : 35/23

केस संख्या	दिनांक आज या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/1/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साक्षि आदेश..... अनुसार आगामी पेशी दिनांक... 18/2/25..... को पेश हो
	18/2/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली सा आदेश..... अनुसार आगामी दिनांक... 4/3/25..... को पेश
	4/3/25	आज दिनांक 4/3/25 दि. डि. डि. एड. वर एसो. जयपुर द्वारा कन्वोलेंस की जा पूर्वानुसार दिनांक 25/3/25 को पेश हो।
	25/3/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड वर एसो. जयपुर द्वारा कार्य रिकॉगिज किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/4/25 को पेश हो।
	9/4/25	पत्रावली आज दिनांक 9/4/25 को पेश हुई। दि. डि. डि. एड. वर एसो. जयपुर द्वारा कन्वोलेंस की जा पूर्वानुसार दिनांक 24/4/25 को पेश हो।
	24/4/25	पत्रावली प्रस्तुत (व. फ. उप.) उत्तरपक्ष की प्रार्थना अन्वयार् निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधीक्षता ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी गण सहजोतेपार है तथा विवादित इलाका का खैखार नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अपनी रिस्सेटुपाट प्र से कलत-कारत रख करी है परन्तु अप्रार्थी गण पिता विधिक विभाग का फापरा उभार कर प्रार्थी के कलत कारत की सुमि को खुर-खुर खं बेचा करे पर आमदा है। प्रस्तुत तर्क, जमावदी शुभाल

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

गोपीबंद खान कागगाप

या : 95/23 JL

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>क्वॉड्रिट झरगी का विश्वकत खंयार नहीं हुआ है <del>अतः</del> यदि अपाणीगण बिना विश्वकत कामके के झरगी का खेचन करते है तो प्राणी को अपुणाय द्वीत होके की प्रबल संभावना है। अतः वाद बाइलगा को रोके हेतु दिनांक 20/02/23 को जारी अंतरिम सस्थारि निषेधारा को मूखवादे के निस्तारण तक सस्थारि किया जाता है। (प्राणी के मूल शुकल होके दायिज दफ्तार हो)</p>	

*(Signature)*  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर